નર્મદા

૪

देश के पर्यावरण मंत्री श्री भजनलाल और जल संसाधन मंत्री श्री शंकरानंद इस वर्ष के प्रारंभ से ही कहते चले आ रहे हैं कि शीघ्र ही नर्मदा परियोजना को मंजूरी मिल जायेगी। मध्य प्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्री भी इस मंजूरी को पाने के लिए भोपाल-दिल्ली और अहमदाबाद-दिल्ली के स्तर पर जो कुछ भी संभव हो सकता है, कर रहे हैं। दोनों मुख्यमंत्रियों ने अपने-अपने प्रदेशों के सभी दलों के संसद सदस्यों को संसद के बजट अधिवेशन में इन रुके

हुए बाँधों को जल्दी से स्वीकृत कराने के लिए मदद माँगी है। इन सदस्यों ने इस सत्र में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे हैं। राजनैतिक स्तर पर हो रही इन कोशिशों के साथ-ही-साथ, अधिकारियों और इंजीनियरों के सबसे बड़े स्तर पर भी हलचल जारी है।

फिर भी नर्मदा के बाँध रुके हुए हैं। इसी तरह के विवाद में पड़ी है बोधघाट योजना। बीच में खबर छपी थी कि बोधघाट योजना को सशर्त मंजूरी दी गयी है। सशर्त का अर्थ था—राज्य सरकार को डूबने वाले वन और वनवासियों के पुनर्वास का न्यायोचित प्रबंध करना पड़ेगा! बाँधों की मंजूरी में ऐसी शर्त लगानी पड़े—यह कितनी शर्मनाक बात है। इसका तो अर्थ यही है कि अब तक बने बाँधों में सरकारों ने इन बातों का कभी ध्यान ही नहीं रखा या कहें कि इन्हें ध्यान रखने लायक ही नहीं माना। खैर!

फिलहाल तो ये सभी विवादास्पद बाँध प्रधानमंत्री सचिवालय की उसी टेबिल पर अटके पड़े हैं, जहाँ से कुछ ही समय पहले टिहरी बाँध को मंजूरी मिली थी!

इसलिए इसे फिर दुहरा लें कि यह प्रश्न विकास बनाम पर्यावरण का नहीं है। यह कुछ गिनती के, या अनगिनत पेड़ों का; लोगों का प्रश्न भी नहीं है। यह हमारी संस्कृति से जुड़ा प्रश्न है और उससे जुड़े स्वधर्म का प्रश्न है। 'नर्मदा' चार में प्रस्तुत गुजरात के पत्रकार श्री महेन्द्र देसाई का लेख और दिल्ली की संस्था 'मार्ग' द्वारा किये गये एक सर्वे का सार एक बार फिर यही बताता है कि ये बड़े बाँध नदी पर नहीं, एक संस्कृति की धारा पर बाँधे जा रहे हैं।

उस धारा को पहचानने की शक्ति हम सबमें आये, तब आज की यह पीढ़ी आने वाली पीढ़ियों के सामने सिर उठाकर खड़ी रह सकेगी।

पर्यावरण कक्ष
गांधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली

सरदार सरोवर

आने वाली पीढ़ियों के इस पीढ़ी से कुछ सवाल

महेन्द्र देसाई

"अगर सरदार-सरोवर बाँध की ऊँचाई एक फुट भी घटाई गई, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा आन्दोलन शुरू करेगी कि लोग महागुजरात-आंदोलन और नवनिर्माण-आंदोलन को भी भूल जायेंगे।"

—अशोक भट्ट

"जब गुजरात के संसद-सदस्य प्रधानमंत्री से मिलने गए, तो वहाँ नर्मदा-योजना के बारे में उनसे क्या बातें हुईं, इसकी जानकारी श्री अमरसिंह तुरन्त दें। नर्मदा के प्रश्न को लेकर जनता-पार्टी भी अपना अभूतपूर्व आन्दोलन शुरू करेगी।"

—चिमन भाई पटेल

"प्रधानमंत्री ने नर्मदा के बाँध की ऊँचाई कम करने की बात की ही नहीं।"

—अहमद पटेल

"मुझको लगा है कि प्रधानमंत्री पर्यावरण के नाम पर नर्मदा-बाँध की ऊँचाई को कम करने के लिए अपना दबाव डालेंगे, और कांग्रेसवाले कोई चूँ-चपड़ कर नहीं पाएँगे।"

—शंकरसिंह वाघेला

"नर्मदा बाँध बनकर ही रहेगा। तीन महीनों के भीतर ही उसकी मंजूरी मिल जाएगी।"

—अमरसिंह चौधरी

पिछले 25 वर्षों से सारे राजनैतिक लोगों के लिए कुरसी का एक खेल बनी नर्मदा-योजना के बारे में एक बार फिर विवाद का बवंडर उठ खड़ा हुआ है। राजकोट, अहमदाबाद, सूरत और बड़ोदरा के नगर-निगमों के चुनावों में स्थानीय प्रश्नों और चर्चित घोटालों को एक बोरे में बन्द करके सब लोग 'हमको तो नर्मदा का पानी चाहिए,' की रट के साथ अपने-अपने हथियारों को सान पर चढ़ाने के काम में जुट गए थे। नर्मदा के नाम का चाबुक चलाकर लोक-भावना को उभाड़ने और कुरसी की खींचतान के सपने देखे जा रहे हैं।

लेकिन जिस तरह सजे-सजाए और बैंड-बाजों की धुनों से गूँजते मंडप में दूल्हे के न पहुँचने से सन्नाटा छा जाता है, उसी तरह सरदार-सरोवर में आज सब स्तब्ध हैं। नवागाम और केवड़िया कालोनियों और पथिकाश्रम के कर्मचारी, इंजीनियर, और ठेकेदार सवाल पूछने लगे हैं: "आपका क्या अन्दाज़ है? क्या पर्यावरण वालों की मंजूरी मिलेगी? काम फिर शुरू हो पाएगा? या रुका का रुका ही रह जाएगा?"

यह विवाद तो अभी-अभी शुरू हुआ है। लेकिन नर्मदा-बाँध के काम की गति तो पिछले फ़रवरी-मार्च, '86 से ही धीमी पड़ने लगी थी। नवम्बर 1984 से दुविधा और उसे दूर करने के लिए हलचल होने लगी थी। लगता रहा कि कोई-न-कोई रास्ता निकलेगा ही। बाद में, कोई एक वर्ष पहले, गुजरात के मुख्य सचिव नयी दिल्ली में कोई चार बार बातचीत के लिए आये। जब उससे काम न बन पाया, तो फिर गुजरात के सभी संसद-सदस्य 12 नवम्बर, '86 को श्री राजीव गांधी से विनती करने पहुँचे कि वे हस्तक्षेप करके इस विषय में कुछ करें।

इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के श्री शंकरसिंह वाघेला ने अपनी तपी हुई आवाज़ में प्रधानमंत्री से पूछा: "आपके नाना पंडित जवाहरलालजी ने जिस बाँध का शिलान्यास किया था, आप उस बाँध को बनवाएँगे या नहीं?"

असल में नर्मदा-योजना की दुन्दुभी तो स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद सन् 1947 से ही बजने लगी थी। उन वर्षों में नर्मदा के क्षेत्र में तरह-तरह के सर्वेक्षण करवाए गए थे। स्वतंत्र गुजरात-राज्य की स्थापना के बाद सन् 1961 के अप्रैल महीने में रंग-बिरंगी पोशाकों और तीर-कमानों से सजे-धजे आदिवासियों की उपस्थिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नर्मदा के बाँध का शिलान्यास किया था। सिंचाई के लिए बननेवाले बाँधों को नेहरूजी 'नये तीर्थ और मन्दिर' कहा करते थे। उन दिनों इसका नाम नर्मदा-बाँध नहीं, बल्कि भड़ौंच सिंचाई-योजना रखा गया था। उस योजना में बाँध सिर्फ 162 फुट ऊँचा बननेवाला था। यदि वह योजना शुरू हुई होती, तो शायद बिना किसी रोक-टोक के अब तक पूरी भी हो गई होती। किन्तु आज शिलान्यास का वह पत्थर नवागाम में कहीं धूल चाट रहा है। उसकी शिला को तो कोई वहाँ से उठाकर ले गया है।

तब से लेकर अब तक नर्मदा-बाँध के मामले में गुजरात की हालत 'लेने गई पूत और खो आई खसम' के समान हो गई है। शिलान्यास के दो वर्ष बाद बलवंतराय महेता ने 1963 में 'भोपाल-एग्रीमेंट' के नाम से जो अनुबंध किया, उसके अनुसार बाँध की ऊँचाई 425 फुट हुई। पर तब मध्यप्रदेश की विधानसभा ने उस अनुबंध को अस्वीकार कर दिया। उसी बीच किसी के दिमाग़ में यह ख़याल आया कि सिर्फ़ भड़ौंच ज़िले में ही क्यों, नर्मदा का पानी तो ठेठ कच्छ के रेगिस्तान तक और समूचे सौराष्ट्र तक पहुँचना चाहिए। सन् 1964 में डॉक्टर खोसला ने

फैसला दिया कि बाँध 500 फुट ऊँचा बनाया जाए। इस हवाई क़िले के बनने से पहले ही महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश ने मिलकर अप्रैल, 1965 में आपस में एक समझौता सीधे-सीधे ही कर लिया। फिर तो गुजरात का कोई ज़ोर कहीं चला नहीं। बाद में वर्षों तक मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच बहस चली, और तीखी-तमतमाती भाषा में आवाज़ें उठती रहीं कि केन्द्रीय शासन अन्याय कर रहा है। अन्त में तीनों राज्यों ने नर्मदा-बाँध-संबंधी विवाद को निपटाने के लिए इंदिराजी के कहने पर, एक ट्रिब्यूनल गठित करने के लिए अपनी सहमति दी। ट्रिब्यूनल लगातार नौ सालों तक जाँच-पड़ताल करता रहा। आखिर 16 अगस्त, 1978 के दिन न्यायाधीश अंसारी ने फ़ैसला दिया कि गुजरात में बाँध 540 फुट नहीं, 460 फुट ऊँचा बनाया जाए।

मानो इस फ़ैसले से ही सारा गुजरात हरा-भरा हो उठा हो।

गुजरात के सारे राजनीतिज्ञों ने इस तरह की डीगें हाँकनी शुरू कर दीं कि अब गुजरात के विकास की कोई सीमा नहीं रहेगी।···कच्छ का रेगिस्तान हरा-भरा हो उठेगा।···क़दम-क़दम पर अनाज और बिजली पैदा होने लगेगी।····इतना ही नहीं, अब तो नर्मदा में जहाज भी चलने लगेंगे। जिसे जो बात सूझी, उसको वह जगह-जगह दोहराने लगा। "नमामि देवि नर्मदे !" की प्रार्थना के साथ इस काम में जुट जाओ ! सफलता हमारी है !" इन नारों के साथ 3,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए ढोल-नगाड़े बजने लगे !

नर्मदा तो देवी है ही। उत्तर में विन्ध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पहाड़ के मध्य देवों के मन में भी ईर्ष्या जगानेवाली एक अनुपम घाटी के बीच यह बहती है। अमरकंटक से निकलकर खंभात की खाड़ी में मिलनेवाली नर्मदा कुल 1,313 किलोमीटर, यानी 815 मील लंबी है। नवागाम के क्षेत्र से मैदानी इलाक़े में प्रवेश करने वाली नर्मदा गुजरात में मुश्किल से कोई दो सौ किलोमीटर की यात्रा करती है। पुराणों में नर्मदा की गाथा गानेवाले श्लोकों में नर्मदा-क्षेत्र की वनश्री, पशु-पक्षियों और नर्मदा की अखूट प्राकृतिक सम्पदा का ऐसा अनुपम वर्णन है कि उसको पढ़कर हम तो चकित ही रह जाते हैं। ये श्लोक, बताते हैं कि सरस्वती का पानी तीन दिन में यमुना का पानी एक हफ्ते के बाद, और गंगा का पानी पीते ही जीवधारी को पवित्र बना देता है। किन्तु नर्मदा तो ऐसी महानदी है, ऐसी पूर्व गंगा है कि उसके दर्शन-मात्र से प्राणी पवित्र बन जाते हैं। ऋषि-मुनियों ने उसको रेवा, इन्दुजा, नागकन्या, मेकलकन्या आदि नामों से याद किया है। महाकवि कालिदास ने 'मालविकाग्निमित्र' नामक अपने नाटक में एक पात्र का नाम नर्मदा के बदले 'वरदा' रखा था। वरदा का अर्थ हुआ, मनचाहा वर देनेवाली।

रेवा के किनारे केवल गुजरात में ही नहीं, बल्कि जहाँ से वह निकलती है, वहाँ से लेकर अरब सागर तक 400 से अधिक तीर्थस्थान हैं। इनमें 333 शिवतीर्थ और, 28 वैष्णव तीर्थों के अलावा जैन धर्म के और दूसरे धर्मों के भी अनेकानेक तीर्थ हैं। बड़वानी के पास बावनगजा क्षेत्र में तीर्थंकर की 52 गज ऊँची बड़ी भव्य मूर्ति है। दूसरी तरफ़, नर्मदा के एक द्वीप पर पाँच सौ साल पुराना जोग का ऐतिहासिक क़िला भी है। नर्मदा की 2,600 किलो मीटर लंबी पैदल परिक्रमा करने के लिए हर साल सारे भारत के हज़ारों श्रद्धालु तीर्थयात्री उमड़ पड़ते हैं।

ऐसी इस नर्मदा नदी में हर साल दो करोड़ अस्सी लाख एकड़ फुट पानी बहता है। नर्मदा-योजना को समझने के लिए इस एकड़ फुट शब्द को समझ लेना ज़रूरी है : जब आप एक एकड़

खेत में एक फुट पानी भर लेते हैं, तो बाँध की भाषा में उसको एकड़ फुट कहा जाता है। अगर एक एकड़ ज़मीन पानी में एक फुट डूबे, तो वह पानी कितना होगा? लगभग ढाई लाख गैलन। अब तक नर्मदा में ज्ञात सबसे भयानक बाढ़ 6 सितम्बर, 1970 को आई थी। उस बाढ़ में जहाँ नवागाम बाँध बन रहा है, उसके पास गरुड़ेश्वर में बना कंकरीट का पक्का पुल बह गया था। तब नर्मदा का पानी फ़ी सेकण्ड 24 लाख घनफुट के हिसाब से बहा था। यहाँ यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि ऐसे अवसर भी आए हैं जब नर्मदा में बहुती ही कम, यानी मुश्किल से 300 घनफुट, पानी बहा है।

इतने अधिक पानी को 'व्यर्थ ही' समुद्र में मिलते देखकर बड़े-बड़े नेताओं के मुँह से लार टपकी है। सौराष्ट्र और कच्छ सहित गुजरात के लगभग सब लोग यह मानते हैं कि एक बार बाँध बन जाने के बाद पाँच, दस या पन्द्रह सालों के भीतर सब कहीं प्रचुर मात्रा में पानी मिलने लगेगा। वे सोचते हैं कि लोगों की भलाई के इतने बढ़िया काम में केन्द्रीय सरकार के कुछ लोग, और दूसरे भी कुछ लोग, व्यर्थ ही रोड़े अटका रहे हैं। लेकिन क्या सचमुच इस बाँध से गुजरात को इतना पानी मिलनेवाला है? ट्रिब्यूनल ने अपने फ़ैसले में कहा है कि नर्मदा के 100 गैलन पानी में से 30 गैलन पानी का उपयोग गुजरात कर सकेगा। मतलब यह कि नर्मदा में जो लगभग तीन करोड़ एकड़ फुट पानी बहता है, उस सब पर नहीं, बल्कि उसमें से केवल 90 लाख एकड़ फुट पानी पर गुजरात का हक़ होगा। मान लीजिए कि पानी कम या ज्यादा बहे तो फ़ैसले में कहा गया है कि ऐसी हालत में 73 फ़ीसदी पानी का उपयोग मध्य प्रदेश करेगा और 24 फ़ीसदी पानी गुजरात को मिलेगा। बाक़ी के तीन फ़ीसदी में से एक प्रतिशत पानी महाराष्ट्र को और दो प्रतिशत राजस्थान को जायेगा। 45 सालों के बाद, यानी सन् 2023 में, यदि तब तक एक नहीं, बल्कि सब बाँध बन चुके होंगे, तो सब राज्य पानी के इस बँटवारे के बारे में पुनर्विचार कर सकेंगे।

इधर गुजरात नवागाम के क्षेत्र में सरदार-सरोवर का निर्माण करना चाहता है और उधर ऊपर की तरफ़ मध्य प्रदेश में पुनासा के क्षेत्र में 'नर्मदा-सागर' बनने वाला है। आम धारणा है कि इन दो बाँधों के बन जाने से काम पूरा हो जाएगा। किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर नर्मदा-योजना को केवल इन दो बाँधों के रूप में नहीं, बल्कि समूची नर्मदा-घाटी-योजना के रूप में देखा जाता है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि 815 मील लंबी नर्मदा पर और उसकी सहायक नदियों पर जैसे करजण, हरण, तवा आदि पर, केवल सरदार-सरोवर और नर्मदा-सागर नाम के दो बाँध ही नहीं, बल्कि 30 बड़े भीमकाय बाँध, 135 मध्यम बाँध और 3,000 छोटे बाँध, यों कुल मिलाकर 3,165 बाँध बनाने की यह योजना है। (वैसे ठीक संख्या किसी को नहीं मालूम) आप बैलगाड़ी लाएँ, और उसके साथ बैल न हों, या ये दोनों हों, लेकिन गाड़ी के पहिए न हों, तो काम चलेगा नहीं। इसी तरह इनमें से कई बाँध ऐसे हैं जो एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक ये सब बाँध पूरी तरह बन नहीं जाते हैं, तब तक कोई एक बाँध ठीक से सफल नहीं हो सकेगा। ट्रिब्यूनल के फ़ैसले में यह बात स्पष्ट कही गई है कि सरदार-सरोवर और नर्मदा-सागर से जुड़ी हुई योजनाएँ आगे-पीछे नहीं, बल्कि लगभग एक साथ पूरी होनी चाहिएँ।

सरदार-सरोवर अपने आप में एक बड़ी योजना है। इस बाँध की लंबाई 3,932 फुट होगी। बाँध के आसपास ऊँचे-ऊँचे पहाड़ और घाटियाँ हैं। दो पहाड़ों के बीच बाँध की दीवार

बन जाने पर आस-पास के पहाड़ों में पानी इकट्ठा होने लगेगा और वहाँ एक प्राकृतिक सरोवर बन जाएगा। समुद्र जैसे इस सरोवर की डूब में कुल 37,030 हेक्टेयर क्षेत्र आयेगा। यह बाँध समुद्र की सतह से 455 फुट ऊँचा होगा। सरोवर में 77 लाख एकड़ फुट पानी का संग्रह किया जा सकेगा। यह तो हुई उसकी संग्रह-शक्ति किन्तु रोज़-मर्रा के काम के लिए उसमें 47 लाख एकड़ फुट पानी रखा जाएगा।

इंजीनियरों का दावा है कि इस बाँध से निकलनेवाली मुख्य नहर दुनिया की कुछेक बड़ी नहरों में होगी। यह नहर 445 किलोमीटर लंबी बनेगी। इसका तला 240 फुट चौड़ा होगा। आग लगने पर कुआँ खोदने की तरह इस नर्मदा से पाइप लाइन के ज़रिए सौराष्ट्र में पानी पहुँचाने की जो बात कही जाती है, उसमें डेढ़ सौ से दो सौ घनफुट पानी बहेगा। जबकि बाँध की इस मुख्य नहर में से 40,000 घनफुट पानी बहनेवाला है। इससे मुख्य नहर के राक्षसी आकार का अन्दाज़ हो सकेगा। महेसाणा ज़िले के कड़ी-कलोल क्षेत्र के पास से कच्छ की ओर जानेवाली नहर की शाखा निकलेगी। इस नहर के नलकाँठा के निचले क्षेत्र में पहुँचने के बाद पंप की मदद से पानी को उलीचकर आगे की नहर में डालना होगा। सौराष्ट्र की भू-रचना ऐसी है कि राजकोट के आसपास-वाला क्षेत्र ऊँचा है, और उसके चारों तरफ़ ढालदार ज़मीन है। इसलिए सौराष्ट्र में पहुँचने वाली नहर का पानी लखतर के क्षेत्र में ऊपर उठाकर डाला जाएगा।

दूसरे बाँधों की तरह नर्मदा की मुख्य नहर को सीधे ही सरोवर में से निकाला नहीं जा सकेगा, क्योंकि बाँध के आसपास के क्षेत्र में पहाड़ खड़े हैं। नहर का निर्माण करने के लिए इन पहाड़ों को खोदना होगा। यह काम 'सोने से घड़ाई ज्यादा महँगी' जैसा रहेगा। इसलिए सरदार-सरोवर का पानी बाँध की बगलवाली घाटी के रास्ते एक दूसरे सरोवर में पहुँचेगा। यह दूसरा सरोवर सरदार-सरोवर से 150 फुट नीचा होगा। अतएव नहर में पहुँचने से पहले पानी के इस प्रपात से बिजली पैदा की जाएगी। फिर पहाड़ों के रास्ते पानी वहाँ से बहता-बहता दूसरे, तीसरे और चौथे सरोवर तक जाएगा। वहाँ से मैदान शुरू होने पर मुख्य नहर ठेठ चौथे सरोवर में से निकाली जाएगी।

300 फुट की ऊँचाई से शुरू होकर बहनेवाली यह नहर जब राजस्थान के बाड़मेर और जालौर ज़िलों में पहुँचेगी, तब इसके पानी का स्तर 130 फुट नीचा होगा और पानी का प्रवाह चालीस हज़ार घनफुट से घटकर 2,500 घनफुट रह जाएगा। फ़ैसले में राजस्थान को पाँच लाख एकड़ फुट पानी देने की बात कही गई है। 445 किलोमीटर लंबी नहर में से रास्ते में पड़नेवाले ज़िलों और तहसीलों के लिए नहर की अलग-अलग शाखाएँ निकलेंगी।

नदी के गहरे-से-गहरे भाग से नापने पर एक स्थान पर इस बाँध की ऊँचाई 534 फुट तक पहुँचेगी। अकेले इस एक बाँध पर 13.50 लाख टन सीमेंट 65,400 लाख टन लोहा, सुरंगों पर ख़र्च होनेवाला 700 टन गोला-बारूद और कोई 11 लाख मीटर लंबे अलग-अलग प्रकार के पाइप लगेंगे। बाँध के लिए आनेवाला सीमेंट मगदल्ला बन्दरगाह से बोरों में भरकर नहीं, बल्कि 35 या 20 टन के टैंकरों में लदकर आएगा। पूरा बाँध सीमेंट-कंकरीट का बनेगा।

कंकरीट के लिए काम में आनेवाला ग्रेवेल नाम का पत्थर, जो सीमेंट और रेत के साथ मिलाया जाता है, नदी की घाटी में से खोदकर लाया जाता है। एक निश्चित आकार की गिट्टियों

को छानकर छाँटने के लिए एक भारी-भरकम प्लांट बाँध के स्थान पर ही खड़ा किया गया है। इस बाँध का डिज़ाइन श्री नलिन बी० देसाई नाम के एक नौजवान इंजीनियर के मार्गदर्शन में बनाया गया है। बाँध-संबंधी सब कामों के लिए वे मुख्य इंजीनियर हैं। सिंचाई-विभाग में सीधे ही कार्य-पालनयंत्री के रूप में नियुक्त हुए श्री नलिन देसाई की, अथवा सिंचाई-विभाग के इंजीनियर सचिव श्री आई० एम० शाह की और उनके नौजवान इंजीनियरों के दल की छवि बहुत साफ-सुथरी है।

आम तौर पर सीमेंट-कंकरीट के काम में पानी का उपयोग किया जाता है। पर बाँध के कंकरीट-काम में किसी गई बरफ बरती जाती है। सभी जानते हैं कि चूने व सीमेंट में पानी मिलाने पर वह गरम हो जाता है और उसका तापमान बढ़ जाता है। यदि वातावरण के तापमान की तुलना में कंकरीट का तापमान बढ़ जाता है, तो उसमें एक खतरनाक दबाव पैदा होता है। वातावरण के 80 से 90 फैरनहीटवाले तापमान के साथ सीमेंट-कंकरीट के तापमान को सुरक्षित रखने के लिए बाँध में 'किसी' हुई बरफ का उपयोग किया जाता है। बरफ की ठंडक उस मिश्रण के तापमान को बढ़ने नहीं देती। इस काम के लिए आवश्यक अमोनिया-प्लांट भी बाँध के स्थान पर ही बनाया गया है।

बाँध में और मुख्य नहरों में पानी पहुँचने के लिए आसपास के छोटे सरोवरों के रॉक फिल बाँध बनाने का काम जयप्रकाश एसोसिएट्स नाम की कंपनी कर रही है। बाँध के लिए दक्षिण कोरिया के हुंडाई, जापान की महडा, कनाडा के टोर्नो और यूगोस्लाविया इटली और अमेरिका के ठेकेदारों ने भी अपने-अपने टेंडर पेश किए थे। ऐसे भीमकाय काम करनेवाले ठेकेदारों को ध्यान में रखकर अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार आवश्यक नियम निश्चित किए गए हैं। जो लोग इन नियमों की कसौटी पर खरे उतरते हैं, उन्हीं को टेंडर पेश करने की अनुमति दी जाती है। इटली की एक कंपनी ने तो धमकी दे दी थी कि अगर उसको काम नहीं दिया गया, तो वह 'देख' लेगी ! लेकिन उसका कोई ज़ोर चला नहीं।

नहरों के जरिए 44 लाख एकड़ के क्षेत्र में पानी पहुँचाने के अलावा इस बाँध से बिजली भी पैदा की जाएगी। मुख्य बाँध से दो-दो सौ मेगावॉट बिजली पैदा करनेवाली छह इकाइयाँ और मुख्य नहर में पहुँचनेवाले पानी से पचास-पचास मेगावॉट की पाँच इकाइयाँ तैयार की जाएँगी। इन सब इकाइयों से कुल 1,450 मेगावॉट बिजली पैदा की जा सकेगी। जब सिंचाई के लिए पानी अधिक खर्च होने लगेगा, तो बिजली का उत्पादन धीरे-धीरे घटने लगेगा। बिजलीघर पहाड़ के भीतर बनी सुरंग में बनाया जाएगा। यह बाहर से किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। बिजलीघर के लिए चट्टानें तोड़-तोड़कर 300 मीटर लंबी और 23 मीटर चौड़ी एक भीमकाय सुरंग बनाई जाएगी। सुरंग की छत की 'सिलाई' लंबे-लंबे बोल्टों के टाँकों से की जाएगी, जिससे सुरंग कभी धँस न सके। इस सुरंग का काम-काज सौराष्ट्र की धोराजीया कंपनी कर रही है। बिजलीघर में ऐसे टरबाइन लगाए जाएँगे कि बिजली पैदा करने के बाद ज़रूरत पड़ने पर वे उसी पानी को फिर ऊपर की तरफ़ सरोवर में फेंक सकें। अनुमान यह है कि इन 'रिवर्सीबल' टरबाइन केन्द्रों के निर्माण का काम जापान वाले करेंगे।

नर्मदा का पानी किनको मिलेगा? जैसाकि गाजे-बाजे के साथ कहा गया था, क्या यह पानी कच्छ के छोटे-बड़े रेगिस्तानों को मिलेगा? समूचे सौराष्ट्र या समूचे गुजरात को मिल पाएगा?

आम तौर पर लोगों का अपना ख़याल यह बना है कि एक बार सरदार-सरोवर के बन जाने पर क्या तो रेगिस्तान में, और क्या जूनागढ़ में, किसी को कहीं पानी की ज़रा भी तकलीफ़ नहीं रहेगी। लेकिन सचाई यह है कि नर्मदा का पानी कच्छ के छोटे-बड़े रेगिस्तानों तक, अथवा अंजार, लखपत, नखत्राणा, अबडासा या रापर तक पहुँच नहीं पाएगा। सौराष्ट्र में भी सुरेन्द नगर और भावनगर के ज़िलों में, और वहाँ भी उनकी कुछ ही तहसीलों में पानी पहुँच सकेगा। भावनगर ज़िले के ज़्यादातर हिस्सों में, और राजकोट, जामनगर, जूनागढ़ अथवा अमरेली सहित समूचे सौराष्ट्र में पानी पहुँच ही नहीं सकेगा। पीने का पानी कोई 4,700 गाँवों में और 131 कस्बों-जैसे गाँवों में पहुँच पाएगा। इनमें से कितने गाँव सचमुच ज़रूरत वाले अथवा अकाल पीड़ित हैं, इसकी कोई ब्यौरेवार चर्चा कहीं होती नहीं है। सार्वजनिक रूप से कहीं भी इसकी जानकारी नहीं दी जाती है।

गुजरात में नहर के पानी का लाभ किन-किन को मिलेगा? भड़ौंच ज़िले की जंबूसर, मियांगाम, लुहारा, अमलेश्वर, वागरा और आमोद तहसीलों में पानी पहुँचेगा। बडोदरा ज़िले की रनोली, साकरदा, देणा, कुंडेला, तिलकवाड़ा और शिनोर तहसीलों को पानी मिलेगा। पंचमहाल में डेसर क्षेत्र को, गांधी नगर ज़िले के कुछ हिस्सों को, अहमदाबाद ज़िले की खारा-घोड़ा, साणंद, धोलका बावला, नल और छोरो तहसीलों तक पानी पहुँचेगा। महेसाणा में राजपुरा, बोडेरो, और झाँझूवाडिया तक, बनासकाँठा में गोद्रीस, धीमा, माल्सा नंद, मोडका, वाजपुर, पटौई और राघवपुर तक पानी पहुँच सकेगा। कच्छ में पानी भचाऊ और मांडवी की बहुत ही तंग पट्टी तक पहुँचेगा। (अगर सचमुच पहुँचा तो!) भावनगर में वल्लभीपुर और बोटाद में, और सुरेंद्रनगर में मालिया, मोरबी, लीमड़ी, लखतर, हलवद और ध्रांगध्रा में पानी पहुँचेगा। शाखा नहरों के छोर पर जो-जो क्षेत्र होंगे, उनमें अधिक-से-अधिक तीन या चार हज़ार एकड़ ज़मीन को सिंचाई का कुछ लाभ मिल पायेगा। मुख्य नहर में से कच्छ की पट्टी की शाखा कड़ी-कलोल से और सौराष्ट्र की शाखा लखतर क्षेत्र से फूटेगी।

ट्रिब्यूनल के सामने कच्छ के रेगिस्तान तक पानी ले जाने के बारे में लंबी बहस चली थी। कृषि-विशेषज्ञों ने कहा था कि रेगिस्तान वाले क्षेत्र में फ़सल के लिए अखूट पानी की ज़रूरत रहेगी। इसके अलावा, वहाँ 'खराश' यानी खारापन इतना ज़्यादा है कि उसको ख़तम करने के लिए अधिक पानी लगेगा। आख़िर कच्छ की बात छोड़ दी गई थी।

जहाँ पानी पहुँचाने की बात कही जाती है, वहाँ भी पानी कब और कितने सालों के बाद पहुँचेगा? नहरों का निर्माण-कार्य तीन चरणों में पूरा होगा। नहरों में पानी तभी आ सकेगा, जब बाँध 310 फुट ऊँचा बन जाएगा। इसलिए पहले चरण में 144 किलोमीटर नहर बनाने पर सात सालों में पानी मही नदी में पहुँच सकेगा। वहाँ से दूसरे चरण में दसवें साल में पानी पहुँचेगा। मुख्य नहर के बन जाने और उसकी शाखा-उपशाखाओं का जाल तैयार हो जाने के बाद ही कोई बीस सालों के बाद, कच्छ की पट्टी तक और राजस्थान तक पानी पहुँच पाएगा।

लेकिन शेखचिल्ली की-सी ये सारी अटकलें 'यदि' और 'तो' के साथ जुड़ी हुई हैं। जिन क्षेत्रों की बात सोची गई है, उन सबमें बीस वर्षों में भी पानी तभी पहुँच पाएगा, जब मध्य प्रदेश के पुनासा में नर्मदा-सागर बाँध बन चुकेगा। नर्मदा-सागर से बिजली पैदा करके पानी ओंकारेश्वर के बाँध में पहुँचेगा और वहाँ बिजली पैदा करके पानी महेश्वर बाँध के रास्ते सरदार-

सरोवर में आएगा। इस ऊपरवाले क्षेत्र की योजनाएँ, जो अभी सिर्फ़ कागज पर ही लिखी धरी हैं, यदि कभी अमल में नहीं आ सकीं, तो सरदार-सरोवर भूतों का एक भयंकर डेरा ही बनकर रह जाएगा। एक साल की बरसात में जितना पानी इकट्ठा होगा, उतना ही सरोवर की टंकी में भर लेना पड़ेगा और फिर दूसरी बरसात की बाट देखनी होगी। इतना पानी, सौराष्ट्र की तो बात ही छोड़िए, वड़ोदरा और भड़ौंच के लिए भी नाकाफ़ी ही होगा।

और, यदि ऐसा ही हुआ, तो बिजली भी पैदा नहीं हो पाएगी। अगर बिजली पैदा हुई भी तो उससे गुजरात को खुश होने का कोई कारण नहीं रहेगा। बस कुल 100 यूनिट बिजली ही पैदा होगी, जिसमें से पंच फ़ैसले के अनुसार गुजरात को तो 16 यूनिट बिजली ही मिलेगी। बाकी की बिजली मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र को पहुँचानी होगी। अंदाज़ यह है कि जैसे-जैसे सिचाई के लिए पानी का उपयोग बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे बिजली का उत्पादन भी गिरता जाएगा।

नर्मदा-घाटी के कुल 3,156 बाँधों में से अकेले एक सरदार-सरोवर पर कुल कितना ख़र्च होगा, क्या हममें से किसी को इसकी कोई कल्पना है? आँकड़ों के मायाजाल का यह एक अजब-गजब खेल है। सबसे पहले जब नर्मदा-बाँध की बात गुजरात के कानों तक पहुँची थी, तो उस समय 700 करोड़ रुपयों के ख़र्च का अन्दाज़ था। जब ट्रिब्यूनल ने फ़ैसला दिया, उस समय ख़र्च कोई 3,000 करोड़ रुपयों तक पहुँचा। अब आज की तारीख में आधिकारिक रूप से यह 5,793 करोड़ रुपयों का माना जा रहा है। (विश्व बैंक के एक विवरण के अनुसार ख़र्च का सही अंदाज सन् 1983 में 7,200 करोड़ माना गया था, पर उन दिनों उसको प्रकट नहीं होने दिया गया।) ख़र्च बहुत भयानक न दिखे इसलिए उसके अलग-अलग आँकड़े पेश किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब पूछा जाता है कि नहरों पर कुल कितना ख़र्च होगा, तो कहा जाता है कि कुल ख़र्च 1,412 करोड़ रुपयों का होगा। कोई साफ-साफ यह बताता ही नहीं है कि यह ख़र्च तो अकेली एक मुख्य नहर का ही है। अन्य नहरों पर होनेवाला ख़र्च 3,412 करोड़ रुपयों तक पहुँचेगा। बाँध पर कुल खर्च 725 करोड़ रुपयों का होगा। बिजलीघर के लिए 691 करोड़, विकास के लिए 604 करोड़, और दूसरे अन्य कामों के लिए 361 करोड़ रुपयों का ख़र्च कूता गया है। जितनी देर होती जायेगी, उस हिसाब से हर दिन एक करोड़ रुपयों का ख़र्च बढ़ता जायेगा।

कोई व्यापारी कभी किसी ऐसे आदमी को अपना माल उधार दे बैठे जो उसे हड़प ले और जब वह व्यापारी उगाही के लिए उसके घर पहुँचे, तो उससे और नया माल उधार माँगें; पुराने माल की वसूली को डूबने से बचाने के लालच में व्यापारी उसको थोड़ा और माल उधार दे दे, और वह व्यापारी फिर लाख रुपयों का माल दबाकर बस दस हज़ार रुपये ही चुकाए, कुछ वैसी फ़ज़ीहत, वैसा तमाशा इस योजना में चल रहा है।

मुख्यमंत्री से लेकर अलग-अलग पार्टी के संसद-सदस्यों तक ने हो-हल्ला मचा रखा है कि अब तक नर्मदा पर 350 करोड़ रुपए फूँके जा चुके हैं। विश्व बैंक अपने पैसों की थैली का मुँह खुला रखकर खड़ा है। ऐसी हालत में उसे अचानक रोका क्यों जा रहा है? काम फिर से झटपट शुरू करो, झटपट शुरू करो! मानो 5,400 करोड़ रुपए ख़र्च हो चुके हों, और काम बिलकुल किनारे आ लगा हो, ऐसी हायतौबा ये लोग मचा रहे हैं।

सचमुच कितना काम हुआ अब तक है ? बाँध के क्षेत्र में नदी के प्रवाह को मोड़ने का काम, उसके लिए आवश्यक कामचलाऊ बाँध; खुदाई का काम; नींव में मिली दूसरी अलग किस्म की चट्टानों को सुधारने का काम चल रहा है; जिस सरोवर में से पानी को नहर में मोड़ना है, उसके बीच की टेकरियों पर बने बाँधों को मिलाकर अब तक कुल 104 करोड़...हाँ, सब मिलाकर कुल 104 करोड़ रुपयों का काम हुआ है। कुल 455 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर में से 9 किलो मीटर तक की खुदाई में, लाइनिंग में बीस फीसदी काम में, दूसरे 10 किलोमीटर की खुदाई में नहर के रास्ते में आने वाले कुछ निर्माण-काम आदि को मिलाकर दूसरे 50 करोड़ रुपयों का काम और हुआ है। बिजलीघर में मुश्किल से 7 करोड़ रुपयों का खर्च हुआ है। इस सबको जोड़ने पर कुल बाँध पर अब तक 350 करोड़ का नहीं, बल्कि योजना संबंधी कुल काम मुश्किल से 161 करोड़ रुपयों का हुआ है। तो फिर बाकी के 189 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए हैं? इसके तफसील-वार आँकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हो सके हैं ; शायद यह मान लिया गया है कि सर्वे पर, कॉलोनी के और रास्तों के निर्माण-कार्य पर, कर्मचारियों के लिए बिजली-पानी की व्यवस्था पर और विद्यालय, कार्यालय, मेहमान-घर आदि के निर्माण पर यह सारा खर्च हुआ है।

जब सन् 1978 में पंच का फैसला सामने आया था, उस समय कहा गया था कि सन् 1995 तक बाँध का सारा काम पूरा हो चुकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि आज 1986 के अंत तक आधा काम तो हो ही जाना चाहिए था। यानी अब तक कुल तीन हज़ार करोड़ रुपयों का काम पूरा होना था। पर काम तो मुश्किल से तीन फ़ीसदी ही हो पाया है। और इस तीन फ़ीसदी की उगाही बसूल करने के लिए हड़पने वाला व्यापारी ज़िद करके लोगों से 97 फ़ीसदी रकम, यानी 5,400 करोड़ रुपए माँग रहा है, और कह रहा है कि यदि यह रकम नहीं दी गई, तो फिर उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं ! अजब-गजब-सी ज़िद है यह।

'विश्व बैंक तैयार खड़ा है। जल्दी करो...जल्दी करो...' इस पुकार पर भी ज़रा ध्यान दें। पूरी योजना 6,000 करोड़ की है। आठ सालों में मुश्किल से 104 करोड़ रुपए खर्च हो पाए हैं। मतलब यह कि हर साल कोई तेरह करोड़ रुपए खर्च हुए। विश्व बैंक उदारतापूर्वक आखिर कितनी रकम देगा ? और देने में विश्व बैंक के बाप का जाता क्या है ? देश आपका है। आप जो चाहें, सो करें। आज की घड़ी तक विश्व बैंक ने 45 करोड़ डॉलर देना क़बूल किया है। मतलब अधिक-से-अधिक 550 करोड़ रुपए। 150 करोड़ रुपयों का क़र्ज़ जापान देने वाला है। यों, कुल 700 करोड़ रुपए हुए। बाक़ी बचे काम के टेंडर मँगवा लिये गए हैं।...गाना आज यह गाया जा रहा है कि इस रकम की मंजूरी मिल जाए, तो रॉकेट की-सी गति से काम शुरू किया जा सकता है। टेंडर भी सब मिलाकर 700 करोड़ के ही हैं। मतलब यह कि विश्व बैंक जितनी रक़म उधार देगा, उतनी ही रकम की मर्यादा में टेंडर या तो खुले हैं, या खुलेंगे।

पर्यावरण संबंधी स्वीकृति मिल जाये, और विश्व बैंक के पैसे से कामकाज फिर शुरू हो भी जाए, तो भी कुल मिलाकर 800 करोड़ रुपयों का काम पूरा हो सकेगा। इसके बाद भी 5,200 करोड़ रुपयों की और आवश्यकता पड़ेगी। क्या किसी ने सोचा है कि गुजरात सरकार ये रुपए कहाँ से लाएगी ? अकाल की हालत में पिछले साल 85 करोड़ रुपयों के लिए तो सरकार को श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह के पास दौड़कर जाना पड़ा था। टैक्स और खनिज तेल की रॉयल्टी पेटे उनसे पेशगी रकम लानी पड़ी थी। आज गुजरात में सिंचाई पर कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए

ख़र्च होते हैं। सारे गुजरात राज्य के सब सिंचाई कामों को रोककर यदि उस पूरी रक़म को नर्मदा पर ही होम दिया जाए, तो भी उससे काम बनेगा नहीं। दूसरे राज्यों से मिलनेवाली सहायता को छोड़ दें, तो भी हर साल 200 करोड़ रुपयों के ख़र्च से योजना को पूरा करने में 20 साल और बीत जाएँगे। तब तक नर्मदा के बाँध का अनुमानित ख़र्च 6,000 करोड़ रुपयों से बढ़कर 26,000 करोड़ रुपयों तक पहुँच चुकेगा। 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ अर्बन अफेयर्स' नामक संस्था ने दो साल पहले अंदाज लगाया था कि नर्मदा पर बनने वाले बाँध का ख़र्च आख़िर 25,000 करोड़ रुपयों तक पहुँचेगा।

तो फिर भविष्य में भी होगा यही कि मामा का घर कितनी दूर है? उतनी दूर जितनी दूर दीया जलता रहे! 350 करोड़ रुपयों का काम हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि इसको रोका न जाए। विश्व बैंक से 700 करोड़ ख़र्च हो जाने के बाद फिर पुकार मचेगी कि 1,000 करोड़ रुपए तो ख़र्च हो चुके हैं। आगे के लिए और रक़म मंजूर कीजिए। इस अवधि में विश्व बैंक का ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में बढ़ता ही जाएगा। नर्मदा-योजना के लिए गुजरात में कोई 7 करोड़ रुपयों के क़ीमती यंत्र और आयात किये जा चुके हैं। नहरों में लाइनिंग का काम करने वाले स्क्रेपर यंत्र इस समय पड़े-पड़े जंग खा रहे हैं। कोई 6,000 टन वज़न की लोहे की प्लेटें जापान से मँगवाई गई हैं। इनसे बिजलीघर के लिए 'पेनस्टॉक पाइप' बनवाये जाएँगे। और इस बीच में स्टोररूम में से कोई तीन लाख रुपयों की ऐसी प्लेटें चुराई भी जा चुकी हैं। अमानत में ख़यानत का ही एक नमूना बना है। पर ऐसे भारी नुक़सानों का तो कोई अंदाज़ दिया ही नहीं जा सकता है।

इस योजना को पूरा करने के लिए अकेले एक सरदार-सरोवर में ही 267 गाँव पानी में डूबने वाले हैं। इनमें से 182 गाँव मध्यप्रदेश के हैं। (इनके पुनर्वास के काम में कितनी लापरवाही बरती जा रही है, इसकी एक ज़रा-सी, लेकिन भयानक झलक 'मार्ग' नामक संस्था के एक सर्वे में दिखती है। इस सर्वे की जानकारी अगले लेख में है।) इन गाँवों को खाली करवाने के लिए कोई 11,000 परिवारों को बाँध-क्षेत्र से हटाना पड़ेगा। 11,000 एकड़ में फैले गुजरात के जंगलों के साथ कुल 27,000 एकड़ में फैले जंगल पानी में डूबेंगे। वैसे, कुल मिलाकर 90,000 एकड़ जमीन पानी में डूबेगी। दूसरे, 3,164 बाँधों मे जो ज़मीन डूबेगी, वह इससे अलग होगी। लेकिन अकेले एक सरदार सरोवर के बन जाने से कोई काम बनेगा नहीं। न तो आवश्यक पानी इकट्ठा हो पायेगा, और न उससे गुजरात को जो 16 फ़ीसदी बिजली मिलने वाली है, वह बिजली भी पैदा हो सकेगी।

जिस पर सरदार-सरोवर का सारा दारोमदार है, उस नर्मदा-सागर बाँध के कारण और उससे जुड़े अनगिनत अन्य बाँधों के कारण मध्यप्रदेश में, या कहिये कि पूरे देश में, जो भारी उथल-पुथल होने वाली है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में शायद वह अपने ढँग की एक अभूतपूर्व बरबादी साबित होगी। कुछ समय पहले से विश्व बैंक को भारत के कुछ विशेषज्ञों ने और विभिन्न देशों के लोगों ने कहा था कि "ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह आप भी उधार रक़में दे-देकर गरीब देशों को बरबाद कर रहे हैं।" तब अनमने भाव से विवश होकर विश्व बैंक ने नर्मदा-घाटी के लिए कुछ कड़ी शर्तें रखीं। इधर देश के कर्ता-धर्ता लोग योजना के लिए अपने घुटने टेककर विश्व बैंक की शर्तों को तो मंजूर करते हैं, किन्तु वे स्वयं अपने लोगों की दारुण स्थिति को देखना

समझना नहीं चाहते। जिस दिन भोपाल में गैसवाली दुर्घटना घटी, उसी दिन विश्व बैंक ने इस नर्मदा योजना से संबंधित राज्यों को अपने यहाँ पर्यावरण-समितियाँ गठित करने के लिए विवश किया था। तब तक न तो गुजरात ने और न मध्य प्रदेश ने ही स्वेच्छा से इसकी कोई व्यवस्था अपने यहाँ की थी।

मध्यप्रदेश की पर्यावरण-समिति के अध्यक्ष श्री एस०डी०एन० तिवारी ने कहा है कि नर्मदा-सागर के 91,348 हेक्टेयर में फैले सरोवर के कारण और दूसरे बाँधों के कारण (गुजरात के सरदार-सरोवर की डूब में आने वाले गाँवों के अलावा) अन्य 317 गाँव और डूबेंगे। जंगलों के डूब जाने के बाद उस क्षेत्र में पानी जिस तरह चारों ओर फैलेगा, उसकी वजह से उस क्षेत्र में लोगों का आना-जाना बंद हो जायेगा। परिणाम यह होगा कि कुल 8,75,000 एकड़ जंगल का इलाक़ा बेकार बन जायेगा। नदी-किनारे की कोई पाँच लाख एकड़ बहुत ही उपजाऊ ज़मीन नष्ट हो जायेगी। एक लाख एकड़ की गोचर-भूमि डूबेगी। कोई सवा लाख लोगों को अपने घर और गाँव छोड़कर कहीं दूर जाना और बसना पड़ेगा। इनमें पूर्व निमाड़ ज़िले का हरसूद क़स्बा तो पूरी तरह डूबेगा। 32 किलोमीटर लंबी रेल की पटरियाँ भी डूबेंगी। इनके अलावा, नर्मदा क्षेत्र के कई बहुत ही पुराने और प्रसिद्ध तीर्थ, मंदिर, पुरातत्त्व की दृष्टि से अनमोल स्मारक, जोग का क़िला, जंगलों में रहने वाले अनगिनत पशु-पक्षी और पानी में ही जीने वाले अद्भुत जलचरों का जो नाश होगा, उसका हिसाब देना या अंदाज लगाना तो संभव ही नहीं है।

खैर वापस गुजरात पर आएं। गुजरात का कोई 11,000 एकड़ जंगल डूबेगा। इसकी पूर्ति कैसे होगी? इसके जवाब में गुजरात के आदिवासी मुख्यमंत्री, जो स्वयं जंगल में ही पल-पुसकर बड़े हुए हैं, बड़े ही ठंडे मन से कहते हैं कि करेंगे..., करेंगे...इसका भी कोई उपाय करेंगे। गुजरात में ताप्ती नदी पर बना ऊकाई बाँध सन् 1972 में तैयार हुआ था। उससे पहले, उसके सरोवर में डूबने वाला 55,000 एकड़ ज़मीन में फैला घना जंगल काटा गया। इस जंगल में 27 लाख पेड़ खड़े थे। इस बात को 14 साल बीत चुके हैं। इस अवधि में वैसा या उतना बड़ा दूसरा कोई जंगल कहीं खड़ा नहीं किया जा सका। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री अमरसिंह चौधरी का घर भी इसी क्षेत्र में है। वे भी इस सचाई को जानते हैं। इस बीच सन् 1986 में अकाल की चीख-पुकार शुरू हो चुकी है। जनता को मूर्ख बनाने के काम में सरकारी विभाग कितना निर्लज्ज जड़ और संवेदन-शून्य बन सकता है, इसका एक उदाहरण सोनगढ़ के जंगल-विभाग ने हमारे सामने पेश किया है। जब उकाई के जंगलों की बात चल रही थी, तब इस विभाग ने बताया था कि सन् 1968 में वहाँ कुल 20,000 हेक्टर में जंगल खड़ा था। इसके दूसरे ही साल विभाग ने इस क्षेत्र में 89,000 हेक्टर में जंगल की बात कह दी! असल में कुल ज़मीन 74,000 हेक्टर थी। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी कुल ज़मीन थी, उससे कहीं अधिक ज़मीन पर जंगल होने की बात कह दी गई। 'सेंटर फॉर सोशियल स्टडीज़' के युवक कार्यकर्ता श्री कश्यप मंकोड़ी के अध्ययन से इस सारी गड़बड़ी का भेद खुला।

अब गुजरात की सरकार कहती है कि नर्मदा में डूबने वाले जंगल के बदले वह कच्छ के रेगिस्तान में नया जंगल खड़ा करेगी। हज़ारों वर्ष पुराने कुदरती जंगल के ढंग का नया जंगल आज का हमारा अदना-सा आदमी 15 सालों में कैसे खड़ा कर सकेगा, इसे तो गुजरात की वह सरकार ही जाने, जो सामाजिक वन खड़े करने के नाम पर आज केवल युकेलिप्टस के पेड़ ही

उगाने में लगी है ! और यह काम भी वह कच्छ के रेगिस्तान में करना चाहती है ! उस रेगिस्तान में, जहाँ नर्मदा का पानी पहुँच ही नहीं सकेगा। ऐसी हालत में, क्या गुजरात की सरकार भचाऊ और मांडवी की संकरी पट्टी में पहुँचने वाले थोड़े से पानी की मदद से वहाँ नये जंगल खड़े कर सकेगी ?

यह एक ऐसी बात है, जिस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर भी थोड़ी देर के लिए हम मान लें कि केवल गुजरात के जंगल, जैसे पहले थे, वैसे ही दूसरी जगह में खड़े हो जाएँगे। (मध्य प्रदेश का हिसाब तो बिलकुल अलग ही है।) फिर भी गुजरात के कांग्रेसियों को अथवा विपक्षी राजनीतिज्ञों को या नर्मदा के सपने देखनेवाले गुजरात के आम लोगों को यह बात तो समझ ही लेनी है कि इसमें अंडों के लोभ में मुर्गी के मरने का खतरा बराबर बना रहेगा। होशंगाबाद के वयोवृद्ध कृषि-विशेषज्ञ श्री बनवारीलाल चौधरी हों, जल-संशोधन-विभाग के निष्णात श्री बी०एल० वर्मा हों या साधारण बुद्धिवाले समझदार लोग हों, इन सबकी आम राय यह है कि नर्मदा और हिमालय की गंगा के बीच एक बुनियादी अंतर है। गंगा में बर्फ के पिघलने से पानी आता है, जबकि नर्मदा-क्षेत्र के जंगल नर्मदा की घाटी में पानी को बहता रखते हैं और वहाँ की मिट्टी को पकड़कर रखते हैं। आज हमारे मन को ललचानेवाला नर्मदा का पानी इन जंगलों पर आधारित है। आगे जब ये सब जंगल कट जाएँगे, चाहे ये मध्य प्रदेश के हों, चाहे गुजरात के, तो बाँध तो बन जाएँगे, पर क्या नर्मदा नर्मदा रह पायेगी ? बाँधों की सारी झीलें खाली पड़ी रहेंगी। यह प्रक्रिया एक-दो सालों में नहीं होगी, पर जो स्थिति 14 सालों के बाद आज उकाई में सामने आ रही है, वैसी ही स्थिति गिनती के कुछ सालों में ही नर्मदा-क्षेत्र की भी हो सकती है।

12 नवम्बर, '86 के दिन जब गुजरात के संसद-सदस्य श्री राजीव गांधी से मिलने पहुँचे, उस समय प्रधानमंत्री ने नर्मदा-बाँध की नींव में पर्यावरण नाम का जो फच्चर फँसाया था उसका कारण ये जंगल ही हैं। गुजरात के अहमद पटेल ने कहा है, समूची नर्मदा-घाटी को नहीं, तो सिर्फ़ सरदार-सरोवर को तो मंजूरी मिल सकती है। दलील के तौर पर कहा जा सकता है कि अकेले सरदार-सरोवर से पर्यावरण को कोई भारी नुक़सान नहीं पहुँचेगा। लेकिन सरदार-सरोवर की सफलता तो नर्मदा के ऊपरी-क्षेत्र में बननेवाले बाँधों पर निर्भर करती है। यदि ये बाँध न बनानेवाले हों, तो हमको आज की अपनी योजना को घटाकर आधी कर लेना होगा। देश की स्वतंत्रता के समय से लेकर आज तक की सिंचाई-योजनाओं के कारण समूचे राष्ट्र की, और आनेवाली अनेकानेक पीढ़ियों की कितनी शाश्वत हानि हुई है, उसका कहीं कोई हिसाब लगाया नहीं जाता है। सिंचाई के बाँध यानी पानी, और पानी यानी खेती, इस तरह का सीधा-सादा हिसाब योजना-आयोग के सामने रखा जाता है और वह भी उन्हें मंजूर करता जाता है। सन् 1980 में वन-विधेयक स्वीकृत हुआ, उसके कारण अब एकाध बाँध पर नहीं, बल्कि समग्र रूप से कितना लाभ और कितनी हानि होती है, इसका हिसाब पर्यावरण की दृष्टि से लगाया जाता है। गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने हमारे साथ की बातचीत में यह स्वीकार किया था कि "अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था। पर्यावरण-संबंधी समझ और चेतना तो अभी-अभी ही आई है।"

यह बड़ी विचित्र बात है कि किसी भी योजना को मंजूर करने के बाद कुल मिलाकर उसका परिणाम क्या होगा, इस पर कोई ठीक बहस ही नहीं होती। एक छोटा-सा घर बनाते समय हम

हज़ार तरह की बातें सोचते-विचारते हैं। लेकिन जिस योजना पर 7,000 करोड़ रुपये ख़र्च होने वाले हैं, उसके बारे में कहीं कोई चर्चा हुई ही नहीं है। यों तो इस पर भी बहस होनी चाहिए, हिसाब लगाया जाना चाहिए कि पूरे देश में बनी ऐसी सिंचाई योजनाओं, बाँधों से लाभ की तुलना में नुक़सान कितना हुआ है, गड़बड़ें कितनी हुई हैं, आफतें कितनी आई हैं और आने वाली पीढ़ियाँ इन पीढ़ियों को क्षमा न कर सकें—ऐसी कितनी बर्बादी हुई है।

वन-विभाग जंगलों के कटने से कितनी क़ीमतवाली इमारती लकड़ी का नुक़सान होगा, उसका हिसाब पेश कर देता है। एक पेड़ 50 सालों में सोलह लाख रुपयों का काम कर देता है। वह सूर्य-प्रकाश को चूसकर हरे पत्तों में मौजूद क्लोरोफिल में से उस प्राणवायु का निर्माण करता है, जिसके बिना जीवन ही नहीं रह सकता। पेड़ ही आक्सीजन बनाते हैं। हम अपने साँस-उसाँस के जरिए जिस ज़हरीली गैस को बाहर निकालते हैं, उसका उपयोग कर वनस्पति प्राप्त प्राणियों की खुराक देता है। (आजकल तो रुपयों का हिसाब ही समझाया जाता है, इसलिए रुपयों की भाषा में हिसाब समझें : वैसे, प्रकृति की कोई क़ीमत कूती नहीं जा सकती।) सारे संसार के पेड़ एक साल में 130 अरब टन शकर का, अर्थात् कार्बोहाइड्रेट् का निर्माण करते हैं। इतने ही समय में सारी दुनिया के लोग मुश्किल से तीन अरब टन फौलाद अथवा दो अरब टन सीमेंट बना पाते हैं। इसके अलावा, फौलाद और सीमेंट बनाने में जो कोयला ख़र्च होता है, और जो बिजली ख़र्च होती है, उसमें हमारी निरंतर ख़र्च होनेवाली प्राकृतिक संपत्ति का ही उपयोग होता है। पेड़ों को ऐसी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती। जंगल नहीं रहेंगे, तो नर्मदा में पानी भी इकट्ठा नहीं हो पायेगा। यही नहीं, इस योजना के कारण लगभग नौ लाख एकड़ में फैले जो पेड़ कटने वाले हैं, उनका गुणाकार 16 लाख रुपयों से करने पर जो रक़म बनती है, उतनी रक़म की हानि होगी। आगे आनेवाली पीढ़ियों को ये पेड़ जो लाभ देनेवाले हैं, उसकी विराट् हानि को योजना से होनेवाले लाभ के मुक़ाबले में रखकर सारा हिसाब लगाना चाहिए।

दूसरा मुद्दा यह है कि कितने एकड़ में पानी कहाँ पहुँचेगा। चींटी बहुत खाये तो चींटा बन जाये, हाथी तो वह बन नहीं सकती! खेती के जानकारों की राय है कि जिस क्षेत्र में बाँध से सिंचाई होनेवाली है, उसमें फसलों के लिए बरसात के 16 से 20 इंच पानी की ही ज़रूरत रहती हैं। अगर बहुत पानी पहुँचाया जाता है, तो जैसा ताप्ती पर बने उकाई बाँध के क्षेत्र में हुआ है, उस क्षेत्र में गेहूँ, ज्वार, धान आदि की सब फ़सलें ख़त्म हो जाएँगी, और खेतों में सिर्फ़ गन्ने जैसी फ़सलें ही उगाई जा सकेंगी। इससे गाँवों की सीमावाला क्षेत्र भी प्रभावित होगा। उदाहरण के लिए, कहा यह जाता है कि इस योजना के कारण गुजरात की 44 लाख एकड़ ज़मीन में पानी पहुँचेगा। इसमें अकाल-पीड़ित-क्षेत्र तो मुश्किल से पैंतीस फ़ीसदी है। ऐसी स्थिति में क्या केवल सोलह लाख एकड़ ज़मीन में पानी पहुँचाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए ख़र्च करना मुनासिब होगा? (इससे बिजली मिलेगी नहीं। यदि नर्मदा-सागर बाँध न बना, तो इतना पानी भी नहीं मिलेगा। इस पानी में जहाज भी नहीं चल सकेंगे, क्योंकि नर्मदा की गिनती राष्ट्रीय जल-मार्ग के रूप में नहीं की गई है। आज बाढ़ के कारण जो बरबादी होती है, बाँध बँध जाने के बाद भी बाढ़ पर अंकुश नहीं रखा जा सकेगा। यह बात इस योजना में ही स्पष्ट की जा चुकी है।) विश्व बैंक का ब्याज, 7,000 करोड़ रुपयों का ब्याज, और बाँध की देखरेख पर होनेवाला ख़र्च, क्या यह सब उचित है?

फिर ऐसी बहुत-सी बातें और हैं, जिनकी कोई गारंटी दे भी दे तो उनके न घटने की तरफ़ से बेफिक्र नहीं हुआ जा सकेगा। 3165 बाँधों का उमड़ता पानी जब आपस में टकरायेगा, तो समूची नर्मदाघाटी के क्षेत्र में उसके धक्के लगेंगे ही। इन धक्कों के कारण इस क्षेत्र में कभी भूकंप आएँगे ही नहीं, इसकी गारंटी कोई दे नहीं सकता। भाखड़ा, उकाई और कोयना योजनाओं के क्षेत्रों में भूकंप के झटके लग चुके हैं। भावनावश, उत्तेजनावश और स्वार्थवश अंधे बनकर 7,000 करोड़ रुपयों में से कितने फ़ीसदी रुपये हमारी जेबों में पहुँचेंगे, इसका हिसाब छोड़कर, जब हम शांतिपूर्वक विचार करेंगे, तभी इन बाँधों के कारण पैदा होनेवाली सिस्टोमाईसिस, कोइटा, पंगुता आदि बीमारियों के साथ ही, क्षार के बढ़ जाने से बरबाद होनेवाली उपजाऊ ज़मीन, जंगली जानवरों, डूब में आनेवाली खनिज सम्पत्ति, बहुत पुरानी गुफ़ाओं, किलों, तीर्थों आदि की अनगिनत गंभीर हानि का अंदाज़ लग सकेगा।

लोग सदियों से नर्मदा की परिक्रमा करते आ रहे हैं। बाँधों के बन जाने पर भावनाशील यात्री नर्मदा की परिक्रमा कैसे कर सकेंगे? और अगर सारे तीर्थ और मंदिर डूब ही जानेवाले हैं, तो फिर परिक्रमा किनकी की जाएगी? यह योजना जो विकास करना चाहती है, वह कैसा विकास है? इस पर किन-किन की बलि चढ़ेगी? इससे किनको, कितना और कैसा लाभ होगा? बाँध की उमर 100 सालों की मानी जाती है। राजनीतिज्ञों ने कभी प्रश्नों के उत्तर देने की तैयारी दिखाई नहीं है। लेकिन लोगों को उनसे प्रश्न पूछने चाहिए। यदि आज प्रश्न नहीं पूछेंगे, तो 100 सालों के बाद वाली पीढ़ी इस पीढ़ी को जरूर कोसेगी।

गुजराती '**चित्रलेखा**' से **काशिनाथ त्रिवेदी** द्वारा प्रस्तुत

सरदार सरोवर

मध्य प्रदेश में डूबने वाले क्या जानते हैं ?

दिल्ली की **'मार्ग'** नामक एक समाजसेवी संस्था ने मध्यप्रदेश के उन 26 गाँवों में एक सर्वे किया है जो सरदार सरोवर बाँध बनने पर डूब जाएँगे। ये गाँव झाबुआ ज़िले के अली-राजपुर तहसील में हैं। यह सर्वे इस वर्ष मई में हुआ था। अध्ययन से पता चलता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 1894 के भूमि अधिग्रहण नियम के सेक्शन 4 या सेक्शन 6 के अंतर्गत इन 26 गाँवों में से किसी भी गाँव को नोटिस नहीं दिया था। भूमि अधिग्रहण नियम के सेक्शन नं० 9 के अंतर्गत नोटिस भी केवल कुछ गाँवों और उनमें भी कुछ किसानों को दिये गए थे। भूमि अधि-ग्रहण नियम के बारे में या इस संबंध में अपने अधिकारों के बारे में साधारणतया लोगों को कोई जानकारी नहीं है। डूब में आनेवाले अधिकतर गाँवों को बाँध की जानकारी उन विभागों से नहीं मिली है, जिनकी यह ज़िम्मेदारी थी, बल्कि उनसे मिली है जो किसी और निमित्त से इन गाँवों से गुज़रे हैं। केन्द्रीय जल आयोग के लोग अन्य कारणों से यहाँ आये, उनसे गाँव वालों को पता चला कि कुछ ऐसा होने जा रहा है कि उनके गाँव देखते-देखते डूब जाएँगे। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के ज़िला अधिकारियों ने बाँध के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

हाँ, कोई 10 गाँवों में पुनर्वास संबंधी जानकारी देने के लिए बैठकें ज़रूर हुई हैं। नर्मदा ट्रिब्यूनल अवार्ड की जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के विस्थापित होने वाले लोग अपने रहने के लिए नया स्थान या तो अपने राज्य में ढूँढ़ सकते हैं या गुजरात भी जा सकते हैं। लेकिन सभी 26 गाँवों को एक-दूसरे से यह जानकारी मिली है कि उन्हें गुजरात जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। इसलिए हर जगह गाँव वालों ने बताया कि वे विस्थापित होकर गुजरात के 'गुंटल' क्षेत्र में नहीं जाना चाहते क्योंकि वहाँ की ज़मीन अच्छी नहीं है। एवार्ड के नियमानुसार विस्थापितों को तीन जगहें दिखाई जाएँगी। यदि उन्हें पहली और दूसरी ज़मीन पसंद नहीं आयेगी तो तीसरी दिखाई जाएगी। पर मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है।

लेकिन उधर मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार डूब में आने वाले सभी क्षेत्रों का अध्ययन किया जा चुका है और सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति की जानकारी के आँकड़े भी इकट्ठे हो गये हैं। सरकार का कहना है कि डूब में आने वाले लगभग सभी गाँवों के लोग गुजरात जाना चाहते हैं। लेकिन 'मार्ग' के कार्यकर्ताओं को गाँव वालों ने बताया कि इस प्रकार का कोई सर्वे नहीं किया गया है। उनसे कोई राय नहीं ली गई है। उन्होंने बताया कि वे अपने ही राज्य में यानी मध्य प्रदेश में ही रहना चाहेंगे क्योंकि यहीं तो उनकी जड़ें हैं।

इस सबका सीधा अर्थ यही निकलता है कि मध्य प्रदेश सरकार इस मामले को ज़रा भी गंभीरता से नहीं ले पाई है।

मध्य प्रदेश के सिंचाई विभाग के आँकड़ों के अनुसार इन गाँवों में 12,226 लोग रहते हैं। इससे पहले अन्य क्षेत्रों में बने बाँधों में भी वनवासियों को योजनापूर्वक बसाने के बदले लगता तो यही है कि उन्हें योजनापूर्वक डुबोया गया है। ताप्ती नदी पर उकाई बाँध के बनने से विस्थापित होने वाले लोगों में से ज़्यादातर भील महाराष्ट्र के थे। उनको गुजरात में ज़मीन दी गई। पर बाद में लगभग सभी लोग परेशान होकर वापस महाराष्ट्र चले आए, भूमिहीन बन बैठे और फिर बस प्रवासी मज़दूर बनकर रह गये। हिमाचल प्रदेश में बने पोंग बाँध के विस्थापितों को राजस्थान में बसाया गया। यह प्रयोग भी असफल हुआ।

'मार्ग' की टीम ने भिताड़ा, रोलीगाँव, तिकोला, कुलवत, ककराना, खांबा, सेलागडाह, बड़ा, आंबा, डूबखेड़ा, सकरजा, अंजनवारा, खुन्दी, सुगट, चमेली, महलगाँव, उनहाला, छोटी हथवी और बड़ी हथवी इन 18 गाँवों का दौरा किया। इनके अलावा ओंकारेश्वर मंदिर क्षेत्र खरगौन पुनर्वास कार्यालय और बालपुर की 'हाट' में भी ये लोग गये। सरदार सरोवर बनने पर ये सभी 26 गाँव समान रूप से प्रभावित नहीं होंगे। आकाडिया, सेलागडाह, जलसिंधी, बड़ा आंबा, काकड़सेला, डूबखेड़ा, सकरजा, अंजनवारा, छोटी खिरकिड़ी, ककराना, झंडाना, भिताड़ा और रोलीगाँव—ये 18 गाँव पूरी तरह डूब जाएँगे। खांबा और सरगत गाँव पहाड़ियों पर बसे हुए हैं, इसलिए बाँध बन जाने के बाद ये टापू में परिवर्तित हो जाएँगे।

प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सरकार ने बाँध के निर्माण, डूब की सीमा व पुनर्वास की ठीक से कोई जानकारी नहीं दी है। प्रभावित क्षेत्र में से किसी को भी भूमि अधिग्रहण नियम के दोनों नोटिस प्राप्त नहीं हुए। केवल आकाड़िया, सेलागडाह और जलसिंधी गाँवों में नोटिस मिले हैं। वहाँ भी कुछ ही लोगों को। लेकिन डूब में तो पूरा गाँव आयेगा। फिर जो वनवासी ऐसा पढ़ना-लिखना नहीं जानते, उन्हें ऐसे नोटिसों से क्या मतलब? नोटिस नंबर 3 में लोगों को अपने दावे दाखिल करने के लिए सूचित किया था। पर कोई भी उसका जवाब नहीं दे पाया है।

इस इलाक़े के लोगों को बाँध बनने की पहली भनक केन्द्रीय जल आयोग से लगी। कई गाँवों को यह बात अपने पड़ोसी गाँवों से या उन साधु संतों और तीर्थयात्रियों से मिली जो नर्मदा परिक्रमा करते हुए उनके गाँव से गुज़रे थे। कहीं-कहीं पटवारी, नाकेदार, तहसीलदार आदि सरकारी अधिकारियों ने बाँध तथा पुनर्वास की वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में कुछ को सूचित ज़रूर किया है पर आधिकारिक तौर पर लोगों को बाँध अथवा डूब के क्षेत्र के विषय में कोई जानकारी नहीं है।

सर्वे के दौरान पता चला कि 'कुछ लोग' यहाँ आये थे। पर यह किसी को नहीं मालूम कि वे कौन थे। उन्होंने बैठकें की तथा लोगों को कहा कि उन्हें गुजरात चले जाना चाहिए।

ककराना गाँव में ऐसी दो बैठकें हुईं। पहली बैठक 3-4 साल पहले हुई थी। यह बैठक सरपंच ने बुलाई थी। चमेली, सुगट, भिताड़ा तथा झंडाना गाँव से भी लोगों को बैठक में भाग लेने के लिए बुलाया गया। बैठक में लोगों को गुजरात में जमीन दिखाये जाने के बारे में बातचीत की गई।

दूसरी बैठक अप्रैल '86 में हुई। इसमें कलेक्टर भी आये थे। पर वह बैठक मुख्यतः सूखे की

समस्या को लेकर थी। हाँ बाँध और पुनर्वास की समस्या पर भी कुछ बात ज़रूर हुई। गाँव के पटवारी ने लोगों को बताया कि सरकार उनकी डूब में जाने वाली ज़मीन के एवज़ में गुजरात में ही ज़मीन देगी। लोगों ने कहा कि गुजरात तो नहीं जाएँगे, मध्य प्रदेश में ही रहेंगे तो उनसे कहा गया, "कैसे नहीं जाओगे ? तुम्हारे बाप को भी जाना पड़ेगा यहाँ से। पानी आयेगा तो मरोगे यहाँ ?"

कुलवत में भी ऐसी दो बैठकें हुईं। दो वर्ष पूर्व हुई एक बैठक में कलेक्टर ने बताया था कि बाँध 5 साल में तैयार हो जाएगा और विस्थापितों में से हरेक को गुजरात सरकार 5 एकड़ सिंचित ज़मीन देगी। यहाँ दूसरी बैठक कांग्रेस (ई) के विधायक ने बुलाई थी। उसमें जब विस्थापन की बातचीत के दौरान गुजरात जाने के बारे में लोगों ने कुछ झिझक जतलाई तो उन्होंने लोगों से कहा : "बदमाशी मत करना, जो जगह दें ले लेना, नहीं तो घर नीलाम कर देंगे। ज़मीन नहीं मिलेगी, फिर जहाँ जाना हो, चले जाना।"

आँकड़े इकट्ठे करने गई सरकारी टीम ने भी कुछ गाँवों का दौरा किया था। आँकड़े बहुत जल्दबाज़ी और अपमानजनक तरीक़ों से एकत्र किये गए। लोगों को इस बारे में कभी कोई जानकारी नहीं दी गई कि वे आँकड़े क्यों इकट्ठे किये जा रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है ? खांबा, ककडसिला, सुगट, छोटी हथवी, बड़ी हथवी, खुंदी, कुलवट, कुबलत, तिखोला, टेमला तथा कुकाड़िया गाँवों में आँकड़े एकत्र करने के लिए भी कोई टीम नहीं गई। इन गाँवों में पुनर्वास और डूब के संबंध में जो थोड़ी बहुत जानकारी दी भी गई है उसे देखकर लगता है कि बस जानकारी देनी है, इसलिए दे दी गई है। उसे ठीक से लोगों तक पहुँचाने या समझाने की किसी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं दीखती है। लोगों की पसंद-नापसंद का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। उनसे तो पूछा भी नहीं गया कि वे गुजरात जाना चाहते हैं या नहीं ? सीधे आदेश दे दिया गया है कि 'गुजरात जाना है, समझे।' केवल कुछ ही गाँवों में सरकारी अधिकारियों ने लोगों से उनकी राय पूछी है। इस बीच यह भी पता चला है कि इस ज़िले के लोगों को पुनर्वास के लिए गुजरात में जो ज़मीन दिखाई गई है, वही जगह गुजरात के विस्थापितों को भी दिखाई गई है।

सरदार सरोवर की डूब में झाबुआ की अलीराजपुर तहसील के इन 26 गाँवों के अलावा धार और खरगोन ज़िलों के अन्य 152 गाँव भी प्रभावित होंगे।

एक तरफ़ तो पुनर्वास के मामले में काफ़ी लापरवाही बरती जा रही है तो दूसरी तरफ़ अमल के मामले में अब लगने लगा है कि सरकार काफ़ी सख्त रुख अपनायेगी। डुबाना और बसाना—दोनों ही योजनाएँ सरकार की हैं। एक में वह सुस्त है, एक में वह सख्त—लोग ऐसे में कहाँ जाएँगे ?

'मार्ग' (मल्टिपल एक्शन रिसर्च ग्रुप) विस्थापितों को उनके कानूनी हक़ आदि दिलाने की कोशिश करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था है। **वसुधा धगंवार** के निदेशन में तैयार 'मार्ग' की एक बड़ी रिपोर्ट से यह लेख **ज्योति वाघ** ने प्रस्तुत किया है। 'मार्ग' का पता है : बी-2/104 बी सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली-29

पर्यावरण कक्ष, गांधी शांति प्रतिष्ठान, 221 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-2 द्वारा प्रकाशित। मार्च '87। मुद्रक : भारती प्रिंटर्स, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32। सामग्री सहयोग : चित्रलेखा, बंबई तथा 'मार्ग' नई दिल्ली। प्रकाशन सहयोग : गांधी शांति केन्द्र।

नर्मदा के इस काम में आपका सहयोग चाहिए।